		हुक्म की तामील में जारी हुए
7.8.2018	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रा0प0 212राज0टी0एक्ट अस्थाई निषेधाज्ञा पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के वकुलाये फरीकेन की बहस सुनी गई। साथ ही संलग्न दस्तावेजों का भी अवलोकन व मनन किया गया। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि आराजी खाता संख्या 226 जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 वाके ग्राम फूसोदा तह0 व जिला सवाई माधोपुर में स्थित आराजीयात के पूर्व दिशा की ओर आम रास्ता स्थित है यह रास्ता पुसोदा मेन रोड से दोदरी की तरफ जाता है उक्त रास्ते का उपयोग व उपभोग विभिन्न गांवो के ग्रामवासी आने जाने मे करते है तथ उक्त रास्ते में ट्रेक्टर बेलगाडी व अन्य आवागमन के साधन आते जाते रहते है अप्रार्थी सं0 1 व 2 हरपाल व बलराम द्वारा लठ्ठ के बल पर पुख्ता मकान बना लिए है तथा रास्ते की भूमि को जोत रखा है एवं प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि में होकर रास्ता निकलवाने पर आमादा है जिसका उनको कोई विधिक अधिकार हासिल नही हैं। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे मूल वाद के निर्णय तक प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि के रास्ते की ओर जो तारबंदी द्वारा मेडबंदी कर रखी है तथा उक्त तारबंदी पर लगे गढढूओ को तोड फोड नहीं करें, बल पूर्वक नहीं हटावे। तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी किसी प्रकार की मजाहमत न तो स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावे तथा प्रार्थीगण को उक्त रास्ते के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत पेदा न करें और न किसी दीगर से करावे। अप्रार्थी का कथन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्थाई अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी का काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रार्थीगण व गांव के अन्य लोगों ने रास्ते की भूमि पर गढढू गाडकर तार फेसिंग कर रास्ते को अवरूद्व कर दिया है उसे हटाया जावे एवं प्रार्थीगण द्वारा गांव फूसोदा से ग्रम दोंदरी को जो रास्ता निकल रहा है वहा पर ही गोचर भूमि में पक्का मकान बना रखा है। उक्त मकान को हटाया जावें व गोचर भूमि को खुलासाकरवाया जावे।	

उभय पक्षों की बहस सुनने तथा अवलोकन व मनन करने के पश्चात् (i) प्रथम दृष्टया प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण के हक में है क्योंकि प्रार्थी अपने कथन के समर्थन में अपने खातेदारी भूमि की खाता संख्या 226 की जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 एवं गै0मु0 रास्ता खं0 नं0 130 का नक्शा ट्रेस की नकल दस्तावेज पेश किये है। (ii) सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीण के हक में साबित होती है। प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है।

अतः प्रार्थी के पक्ष में सशक्त प्रथम दृष्टया मामला सही पाया जाना अपूरनीय क्षति होने की संभावना है तथा अप्रार्थीगण अपने कथन के समर्थन में कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नही कर पाया है उसके कथन को ठोस साक्ष्य लेकर ही तय किया जा सकता हैं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार तथा अप्रार्थीगण का काउन्टर क्लेम आंशिक स्वीकार किया जाकर ओदेश दिये जाते है कि उभय पक्ष आम रास्ते खं0नं0 130 गै0मु0 रास्ता अवरूद्व नही करे एवं अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे मूल वाद के निर्णय तक प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि के रास्ते की ओर जो तारबंदी द्वारा मेडबंदी कर रखी है तथा उक्त तारबंदी पर लगे गढढूओ को तोड फोड नहीं करें बल पूर्वक नहीं हटावे। तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी किसी प्रकार की मजाहमत न तो स्वयं करे न ही किसी अन्य से करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल दावे की पत्रावली के संलग्न हो।

सहायक कलेक्टर (मु0)
सवाई माधोपुर